राजस्थान सरकार,
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(212)नविवि/3/2011 जयपुर, दिनांकः 4 OCT 2013

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 6.9.2013 द्वारा राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पदान) नियम, 1974 के नियम 31 एवं राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नांकित प्रकरणों में शिथिलता प्रदान करते हुए भवन निर्माण अवधि बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी :–

1. राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पदान) नियम, 1974 के नियम 14(ए) के अन्तर्गत नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों पर निर्धारित 10 वर्ष की अवधि में भी भवन निर्माण नहीं करने के कारण निरस्त भूखण्डों की भवन निर्माण अवधि को दिनांक 30.09.2013 तक बढाकर निर्धारित राशि वसूल कर प्रकरण नियमित किया जावे।
2. राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पदान) नियम, 1974 के नियम 17(6)(बी) के अन्तर्गत तथा राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पदान) नियम, 1974 के नियम 17(6)(सी) के अन्तर्गत भूखण्ड आवंटन के पश्चात् भवन निर्माण हेतु निर्धारित भवन निर्माण अवधि को दिनांक 30.09.2013 तक बढाकर निर्धारित राशि वसूल कर प्रकरण नियमित किया जावे।

चूंकि विभागीय आदेश क्रमांक प.3(54)नविवि/3/2011 दिनांक 26.9.13 द्वारा दिनांक 30.09.2013 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में विविध आदेशों के द्वारा अभियान के दौरान विभिन्न विषयों से संबंधित शिथिलताएं, छूटें तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन आदि (Relaxations, rebates, delegation of power etc.) दिनांक 31.12.13 तक प्रभावी होने तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012–13 के दौरान दिनांक 30.09.13 तक प्राप्त आवेदन पत्रों का दिनांक 31.12.13 तक आवश्यक रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जाने के संबंध में आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं।

अतः आवेदक द्वारा दिनांक 30.09.2013 तक संबंधित निकाय में प्रस्तुत किये गये आवेदनों पर उक्त छूट दिनांक 31.12.2013 तक प्रभावी रहेगी तथा दिनांक 30.09.2013 तक प्राप्त आवेदन पत्रों का दिनांक 31.12.2013 तक आवश्यक रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

16. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
17. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा० शासन विभाग।
18. निजी सचिव, माननीय संसदीय सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा० शासन विभाग।
19. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा० शासन विभाग।
20. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
21. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
22. समस्त जिला कलक्टर...................... (राजस्थान)।
23. संयुक्त शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), नगरीय विकास विभाग।
24. आयुक्त/सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
25. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करावें।
26. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
27. अध्यक्ष/सचिव, नगर सुधार न्यास.........................(समस्त)।
28. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
29. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

Goyal Hemendra/UDH/Order/2013